

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अस्वच्छ छात्रवृत्ति/2016-17  
राजस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)

दिनांक : 09-06-16

**विषय :-** "सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना" के तहत सत्र 2016-17 के छात्रवृत्ति प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ.9(4) छात्र/अस्व./सा.न्या.अ.वि/11-12 /32594-95 दिनांक 24.04.12 एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11017/05/2012-SCD-V दिनांक 04.04.12 के अनुसार इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-1/11 में सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने हैं। भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दरें/दिशा-निर्देशों की प्रति आपको पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/अनु/छात्रवृत्ति/उमै/अस्वच्छ /25210/09-10 दिनांक 01.07.09 के द्वारा पूर्व में भिजवाई जा चुकी है।

उक्त छात्रवृत्ति हेतु गत वर्ष की भांति इस वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव संलग्न **PART-II** में तथा वर्ष 2015-16 में हुए वास्तविक व्यय की सूचना **PART-I** में छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को निम्न तिथि क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें :

आप अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर जि.शि.अ (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) द्वारा अलग-अलग निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

### ::चरणबद्ध कार्यक्रम ::

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	01.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	05.08.2016
3.	वर्ष 2016-17 के लिए पात्र छात्र-छात्राओं की मांग राशि के प्रस्ताव (प्रपत्र-11 में)	10.08.2016
4.	वर्ष 2015-16 में हुए वास्तविक व्यय की सूचना (प्रपत्र-11 में)	

पुनः निर्देशित किया जाता है कि संशोधित दिशा-निर्देश एवं निर्धारित दरों के अनुसार आपके जिले के समेकित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में निर्धारित तिथि तक वाहक के साथ दिनांक 10.08.2016 तक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार को समेकित प्रस्ताव भिजवाये जा सके व प्रपत्र-ब में सूचना कार्यालय रिकार्ड में संधारित करें।

सूचना के अभाव में आपकी मांग को प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

नोट :-राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें। आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाये। बैंक खाते को आधार कार्ड व भामाशाह लिंक कराना सुनिश्चित किया जाये। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का कार्य सुनिश्चित करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(बी.एल. स्वर्णकार)

I.A.S.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेरको भेजकर लेख है कि आपके विभाग के समेकित प्रस्ताव संलग्न प्रपत्रों में भिजवाने का श्रम करें।।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके विभाग के समेकित प्रस्ताव संलग्न प्रपत्रों में भिजवाने का श्रम करें।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
6. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को समय पर प्रस्ताव भिजवाने हेतु पाबन्द करते हुए मॉनेटरिंग करने हेतु प्रेषित है।
7. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
8. लेखाधिकारी (बजट) कार्यालय हाजा।
9. प्रभारी प्रभाग "ब"
10. गार्ड पंजिका।

प्रभारी अधिकारी

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर





**B. FINANCIAL ASPECTS****(Rs. in Lakhs)**

<b>I</b>	<b><u>HOSTELLERS</u></b>	
(a)	<b><u>On Scholarships</u></b>	
(i)	Classes III to X @ Rs. 700/- per month	=
(ii)	Adhoc grand of Rs. 1000/- per annum	=
(iii)	Total Classes III to X	=
(b)	<b><u>On Other Items</u></b>	
(i)	Number of buildings rented for use as Hostels, other than Govt. hostels	=
(ii)	Total amount of rent for these rented building	=
(iii)	Salary of full time hostel warden/honorarium or extra remuneration to the school teacher if appointed as hostel warden	=
(iv)	Total = (i) to (iii)	=
	<b><u>Total Expenditure on Hostellers (a)+(b)</u></b>	=
<b>II</b>	<b><u>DAY SCHOLARS</u></b>	
(i)	Classes III to X @ Rs. 110/- per month	=
(ii)	Adhoc grant or Rs. 750/- per annum	=
(iii)	Total Classes III to X	=
<b>III</b>	<b><u>Total Expenditure under the Scheme during 2015-2016 (1+2)</u></b>	
1.	Expenditure on arrears for 2015-2016 (if any)	=
2.	Total expenditure during 2015-2016 (including arrears for 2014-2015 (cl. 3+4)	

Certified that the expenditure figures furnished above confirm to the actual payments as per regulations governing toward of Pre-Metric Scholarship to the children of those engaged in unclean occupations, as application w.e.f. 1.4.2008

Name & Designation of  
the Competent Authority



**B. FINANCIAL ASPECTS**

(Rs. in Lakhs)

**Anticipated Expenditure during 2016-2017****1 HOSTELLERS****(a) On Scholarships**

- (i) Classes III to X @ Rs. 700/- per month =
- (ii) Adhoc grand of Rs. 1000/- per annum =
- (iii) Total Classes III to X =

**2 On Other Items**

- (i) Number of buildings rented for use as Hostels, other than Govt. hostels =
- (ii) Total amount of rent for these rented building =
- (iii) Salary of full time hostel warden/honorarium or extra remuneration to the school teacher if appointed as hostel warden =

- (iv) Total = (i) to (iii) =
- Total Expenditure on Hostellers (a)+(b)** =

**II DAY SCHOLARS**

- (i) Classes III to X @ Rs. 110/- per month =
- (ii) Adhoc grant or Rs. 750/- per annum =
- (iii) Total Classes I to X =

**III HOSTELLERS + DAY SCHOLARS**

- (i) Total Expenditure under the Scheme during 2016-2017 (1+2) =
- (ii) Expenditure on arrears for 2015-2016 (if any) =
- (iii) Total expenditure during 2016-2017 (including arrears for 2015-2016 (cl. 3+4) =
- (iv) Committed Liability i.e. Total actual expenditure reached at the end of X<sup>th</sup> Plan (2006-2007) =
- (v) Amount of State/UT Budget provision towards Committed liability requirement =
- (vi) Central Assistance due during 2015-16 (iii)+(iv) =
- (vii) Central Assistance already received during 2014-2015 if any, =
- (viii) Unspent central assistance at the end of 2015-16/ Arrears due =
- (ix) Net Central Assistance required during 2016-17 {(vi)-(vii)-(viii)} =

Name & Designation of  
the Competent Authority

राजस्थान सरकार  
 "सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक  
 छात्रवृत्ति योजना" हेतु  
 आवेदन-पत्र  
 (सन् 2016-2017 की छात्रवृत्ति हेतु )

01. छात्र/छात्रा का नाम .....
02. जाति ..... उपजाति .....
03. पिता का नाम व व्यवसाय .....
04. पिता के अस्वच्छ कार्य का पूर्ण विवरण .....
05. परिवार की कुल वार्षिक आय .....
06. प्रार्थी का निवास स्थान ..... ग्राम ..... पोस्ट .....  
 तहसील ..... जिला .....
07. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।  
 (अ) शाला का नाम ..... स्थान.....  
 (ब) पोस्ट ऑफिस ..... तहसील..... जिला .....
08. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है .....
09. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि .....
10. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :- स्कूल का नाम .....  
 ..... स्थान..... पोस्ट ऑफिस.....
11. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है .....
12. परीक्षा फल ..... उत्तीर्ण ..... अनुत्तीर्ण .....

गत परीक्षा में अंको/ग्रेड का विवरण

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड	क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड
1				4			
2				5			
3				6			

- कक्षा में स्थान .....श्रेणी..... योग ..... प्राप्तांक.....
13. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :-  
 (अ) कहां से मिलती है.....(ब)कितनी मिलती है .....
  - (स) दर ..... (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त .....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा



14. बैंक का नाम : .....
- खाता संख्या : .....
- IFSC कोड : .....
- भामाशाह कार्ड संख्या : .....
- आधार संख्या : .....

(2)

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

01. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
02. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
03. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका  
(मोहर सहित)

:: संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र ::

01. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा के पिता .....  
का कार्य करते है जो कार्य अस्वच्छकार कार्यों की श्रेणी में आता है।
02. इनके परिवार की वार्षिक आय ..... है।

हस्ताक्षर  
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को .....रुपये प्रतिमाह के हिसाब से  
माह ..... से ..... तक की छात्रवृति के कुल .....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार  
पद (मय सील सहित)